अध्याय 09: संघ एवं राज्य न्यायपालिका — सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं विधिक सुधार — शॉर्ट नोट्स

1. सर्वोच्च न्यायालय: संगठन, संरचना एवं कॉलेजियम प्रणाली (अनुच्छेद 124)

आयाम / ऐतिहासिक विकास	संवैधानिक प्रावधान, न्यायिक वाद एवं विधिक व्यवस्था
स्थापना एवं उद्घाटन	28 जनवरी 1950 को संसद भवन के चैंबर ऑफ प्रिंसेस में उद्घाटन; भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया (1937) का स्थान लिया; प्रीवी काउंसिल से अधिक शक्तियां प्राप्त
स्वीकृत न्यायाधीश क्षमता	वर्तमान में कुल 34 न्यायाधीश (1 मुख्य न्यायाधीश (CJI) + 33 अन्य न्यायाधीश — 2019 संशोधन अधिनियम); मूल संविधान में केवल 8 (1+7) न्यायाधीश थे; संख्या बढ़ाने का अनन्य अधिकार केवल संसद को है
स्थान / सीट (अनु. 130)	सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित होगा; भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से देश में किसी अन्य स्थान पर भी न्यायालय की बैठक आहूत कर सकते हैं
प्रथम न्यायाधीश वाद (1981)	एस.पी. गुप्ता वाद: कार्यपालिका को वरीयता; सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 124 में राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश से 'परामर्श (Consultation)' का अर्थ 'सहमति (Concurrence)' नहीं है
द्वितीय न्यायाधीश वाद (1993)	सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वाद: कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System) की स्थापना; 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' माना; नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश (CJI) + 2 वरिष्ठतम जजों की संस्तुति बाध्यकारी
तृतीय न्यायाधीश वाद (1998)	अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति संदर्भ: कॉलेजियम का विस्तार कर 5 सदस्यीय बनाया गया (मुख्य न्यायाधीश (CJI) + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश); यदि 2 जज भी असहमत हों तो मुख्य न्यायाधीश (CJI) नाम की सिफारिश नहीं कर सकते
चतुर्थ न्यायाधीश वाद (2015)	99वां संविधान संशोधन (2014) एवं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को 4:1 बहुमत से असंवैधानिक घोषित किया; न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान का आधारभूत ढांचा (Basic Structure) माना

2. न्यायाधीशों की अर्हताएं, शपथ, कार्यकाल एवं वेतन

पहलू	अनुच्छेद	विहित शर्तें, विधिक प्रावधान एवं नियम
अर्हताएं (Qualifications)	अनु. 124(3)	भारत का नागरिक हो तथा: (a) किसी उच्च न्यायालय (HC) में लगातार कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, या (b) किसी HC में कम से कम 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो, या (c) राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता (Distinguished Jurist) हो
शपथ (Oath)	अनु. 124(6)	तीसरी अनुसूची अनुसार राष्ट्रपति या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष; संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, संप्रभुता-अखंडता की रक्षा तथा पक्षपात रहित न्याय की शपथ
कार्यकाल एवं त्यागपत्र	अनु. 124(2)	65 वर्ष की आयु पूरी होने तक पद पर बने रहते हैं; संविधान में कोई न्यूनतम कार्यकाल तय नहीं; राष्ट्रपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकते हैं
वेतन एवं पेंशन	अनु. 125	संसद द्वारा निर्धारित; भारत की संचित निधि पर भारित (Charged on CFI); वित्तीय आपातकाल (अनु. 360) को छोड़कर कार्यकाल के दौरान इसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता

3. न्यायाधीशों की पदमुक्ति प्रक्रिया (न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968)

प्रक्रिया के चरण	विधिक नियम, बहुमत का प्रकार एवं वैधानिक व्यवस्था
संवैधानिक आधार	अनुच्छेद 124(4): केवल 2 आधारों पर — 1. साबित कदाचार (Proved Misbehaviour), 2. असमर्थता (Incapacity); 'महाभियोग' शब्द का औपचारिक प्रयोग संविधान में केवल राष्ट्रपति हेतु है
प्रस्ताव की शुरुआत	लोकसभा में न्यूनतम 100 सदस्यों अथवा राज्यसभा में न्यूनतम 50 सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त प्रस्ताव संबंधित पीठासीन अधिकारी (स्पीकर/सभापति) को सौंपा जाता है
3-सदस्यीय जांच समिति	आरोपों की जांच हेतु गठित समिति: 1. मुख्य न्यायाधीश (CJI) या SC न्यायाधीश, 2. किसी HC का मुख्य न्यायाधीश, 3. एक पारंगत विधिवेत्ता; यदि समिति दोषी पाए तभी सदन में चर्चा
पारित करने का बहुमत	संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग: सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत (> 50%) तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 विशेष बहुमत उसी सत्र में
राष्ट्रपति का आदेश	दोनों सदनों द्वारा पारित समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्ति का अंतिम आदेश जारी; स्वतंत्र भारत में अब तक किसी भी न्यायाधीश पर यह प्रक्रिया पूर्णतः पारित नहीं हो सकी

4. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (CJI), तदर्थ एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश (अनु. 126–128)

न्यायाधीश का प्रकार	अनुच्छेद	नियुक्ति प्रक्रिया, प्राधिकारी एवं शर्तें
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश	अनु. 126	मुख्य न्यायाधीश (CJI) का पद रिक्त या अनुपस्थित होने पर राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति
तदर्थ न्यायाधीश (Ad-hoc)	अनु. 127	न्यायालय का सत्र चालू रखने हेतु कोरम (Quorum) न होने पर; मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति व संबंधित HC के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी HC जज की नियुक्ति; केवल SC में (HC में नहीं)
सेवानिवृत्त न्यायाधीश	अनु. 128	कार्यभार अधिक होने पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से SC या HC के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को कार्य हेतु अनुरोध; उन्हें न्यायाधीश के विशेषाधिकार मिलते हैं

5. न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु संवैधानिक सुरक्षोपाय

सुरक्षोपाय का आयाम	संवैधानिक प्रावधान एवं संस्थागत प्रभाव
कॉलेजियम आधारित चयन	कार्यपालिका के एकतरफा राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षा; न्यायिक वरिष्ठता व परामर्श की प्रधानता
कठिन पदमुक्ति प्रक्रिया	कार्यपालिका की मर्जी से नहीं हटाया जा सकता; केवल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा ही संभव
संचित निधि पर भारित व्यय	न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते व प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित हैं; संसद में मतदान नहीं होता
आचरण पर बहस पर रोक	अनुच्छेद 121: न्यायाधीशों के न्यायिक आचरण पर संसद या विधानमंडल में चर्चा पूर्णतः प्रतिबंधित (पदमुक्ति प्रस्ताव के अतिरिक्त)
वकालत पर पूर्ण प्रतिबंध	अनुच्छेद 124(7): सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता
अवमानना पर दंड की शक्ति	अनुच्छेद 129: अपनी अवमानना (Contempt of Court) हेतु दंडित करने की पूर्ण अंतर्निहित शक्ति

> अभिलेख न्यायालय (Court of Record — अनुच्छेद 129): सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, जिसके दो मुख्य प्रभाव हैं: 1. इसके सभी फैसलों, कार्यवाहियों और आदेशों का साक्ष्य मूल्य (Evidentiary Value) होता है और उन्हें किसी अधीनस्थ अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती; 2. न्यायालय को अपनी अवमानना (आपराधिक या सिविल) हेतु 6 माह तक का कारावास या ₹2,000 तक जुर्माना अथवा दोनों से दंडित करने का अधिकार है।

6. सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां (अनुच्छेद 131–143)

क्षेत्राधिकार का प्रकार	अनुच्छेद	विधिक कार्यक्षेत्र, शर्तें एवं संवैधानिक सीमाएं
मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction)	अनु. 131	संघीय विवादों की अनन्य सुनवाई: 1. केंद्र बनाम एक या अधिक राज्य, 2. केंद्र व राज्य बनाम अन्य राज्य, 3. दो या अधिक राज्यों के आपसी विवाद; केवल विधिक अधिकारों के प्रश्न (राजनीतिक, अंतर-राज्य जल विवाद अनु. 262 या वित्त आयोग मामले शामिल नहीं)
रिट क्षेत्राधिकार (Writ)	अनु. 32	केवल मूल अधिकारों (Part III) के प्रवर्तन हेतु 5 प्रकार की रिटें (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा) जारी करना; नागरिक सीधे SC जा सकते हैं; अनु. 32 स्वयं मूल अधिकार है
अपीलीय क्षेत्राधिकार	अनु. 132–134	संवैधानिक मामलों (अनु. 132 — संविधान की व्याख्या का सारवान प्रश्न), दीवानी मामलों (अनु. 133 — व्यापक जनहित का विधिक प्रश्न) तथा आपराधिक मामलों (अनु. 134 — मृत्युदंड आदि) में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील
विशेष अनुमति याचिका (SLP)	अनु. 136	सर्वोच्च न्यायालय का असाधारण स्वविवेकी अधिकार; भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण (सैन्य अदालत को छोड़कर) के निर्णय/आदेश के विरुद्ध विशेष अपील की अनुमति देना
परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार	अनु. 143	राष्ट्रपति द्वारा राय मांगना: 1. लोक महत्व का विधिक/तथ्य का प्रश्न (सलाह देना स्वैच्छिक), 2. संविधान-पूर्व संधि/समझौते का विवाद (सलाह देना अनिवार्य); न्यायालय की राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती
निर्णयों का पुनरावलोकन	अनु. 137	सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व में दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की स्वयं समीक्षा (Review) कर उसे बदल सकता है
पूर्ण न्याय की शक्ति	अनु. 142	सर्वोच्च न्यायालय अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले में 'पूर्ण न्याय (Complete Justice)' सुनिश्चित करने हेतु कोई भी आवश्यक डिक्री या आदेश पारित कर सकता है (उदा. भोपाल गैस त्रासदी, अयोध्या विवाद)

7. न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) एवं उपचारात्मक याचिका

अवधारणा / आयाम	संवैधानिक आधार, विधिक अर्थ एवं ऐतिहासिक वाद
संवैधानिक आधार	अनुच्छेद 13(2), 32, 131–136, 143, 226; विधियों व प्रशासनिक आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की न्यायपालिका की शक्ति; संविधान विरुद्ध होने पर शून्य घोषित करना
आधारभूत ढांचा सिद्धांत	केशवानंद भारती (1973) एवं मिनर्वा मिल्स (1980) वाद: न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत ढांचा है; संसद अनुच्छेद 368 द्वारा भी इस शक्ति को समाप्त नहीं कर सकती
उपचारात्मक याचिका (Curative Petition)	रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा वाद (2002): सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार याचिका (Review Petition) खारिज होने के बाद भी प्राकृतिक न्याय के घोर उल्लंघन या पूर्वाग्रह पर अंतिम उपचारात्मक याचिका दायर की जा सकती है

8. उच्च न्यायालय (High Courts — अनुच्छेद 214–231)

संवैधानिक विषय	अनुच्छेद	विहित प्रावधान, नियुक्ति प्रक्रिया एवं अधिकार
राज्यों हेतु उच्च न्यायालय	अनु. 214	प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा; 7वें संशोधन 1956 (अनु. 231) द्वारा संसद को 2 या अधिक राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) हेतु साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार
वर्तमान स्थिति (कुल 25 HC)	साझा HC	देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं (25वां अमरावती 2019); 3 साझा HC: गुवाहाटी, पंजाब व हरियाणा, बॉम्बे; दिल्ली व जम्मू-कश्मीर ऐसे केंद्रशासित प्रदेश (UTs) हैं जिनके अपने स्वतंत्र उच्च न्यायालय हैं
संरचना एवं नियुक्ति	अनु. 216, 217	प्रत्येक HC में 1 मुख्य न्यायाधीश व राष्ट्रपति द्वारा तय अन्य न्यायाधीश; नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश (CJI) (कॉलेजियम = CJI + 2 वरिष्ठतम जज) + संबंधित राज्यपाल + संबंधित HC के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से

संवैधानिक विषय	अनुच्छेद	विहित प्रावधान, नियुक्ति प्रक्रिया एवं अधिकार
योग्यताएं (अनु. 217(2))	विधिक अर्हता	भारत का नागरिक हो तथा: (a) भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या (b) कम से कम 10 वर्ष तक किसी HC में अधिवक्ता रहा हो (पारंगत विधिवेत्ता का कोई प्रावधान HC में नहीं)
कार्यकाल एवं पदमुक्ति	अनु. 217(1)	सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष (15वें संशोधन 1963 द्वारा 60 से 62 वर्ष की गई); पदमुक्ति: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही संसद के विशेष बहुमत द्वारा राष्ट्रपति के आदेश से
अधीक्षण शक्ति (अनु. 227)	प्रशासनिक नियंत्रण	अपने राज्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालयों व अधिकरणों (सैन्य न्यायालय छोड़कर) पर पूर्ण प्रशासनिक व न्यायिक अधीक्षण

9. सर्वोच्च न्यायालय (अनु. 32) बनाम उच्च न्यायालय (अनु. 226) — रिट तुलना

तुलनात्मक आधार	सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32)	उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226)
क्षेत्राधिकार का दायरा	संकीर्ण — केवल संविधान के भाग 3 (Part III) में प्रदत्त मूल अधिकारों (Fundamental Rights) के प्रवर्तन हेतु रिट जारी कर सकता है	व्यापक — मूल अधिकारों के साथ-साथ किसी अन्य सामान्य कानूनी अधिकार (Legal Rights) के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है
अधिकार की प्रकृति	अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है; अतः सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका पर विचार करने से इनकार नहीं कर सकता	अनुच्छेद 226 एक संवैधानिक शक्ति है, मूल अधिकार नहीं; अतः उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार स्वविवेकी (Discretionary) है
प्रादेशिक सीमा	समस्त भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी करने की राष्ट्रव्यापी शक्ति	केवल अपने संबंधित राज्य क्षेत्राधिकार के भीतर या जहाँ वाद कारण (Cause of Action) उत्पन्न हुआ हो

> राजस्थान उच्च न्यायालय — ऐतिहासिक तथ्य: 29 अगस्त 1949 को जयपुर में स्थापित (उद्घाटन राजप्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा); प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा (K.K. Verma) थे। सत्यनारायण राव समिति (1958) की सिफारिश पर मुख्य पीठ जोधपुर स्थानांतरित हुई; 31 जनवरी 1977 से जयपुर में स्थायी पीठ (Bench) कार्यरत है। वर्तमान में स्वीकृत न्यायाधीश क्षमता 50 है।

10. अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts — अनुच्छेद 233-237)

संवैधानिक प्रावधान	अनुच्छेद	नियुक्ति प्राधिकारी, पदसोपान एवं न्यायिक शक्तियां
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति	अनु. 233	राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य उच्च न्यायालय (HC) के परामर्श से; अर्हता: संघ/राज्य में पहले से सेवारत न हो और कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता अनुभव हो तथा HC ने सिफारिश की हो
अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति	अनु. 234	राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग एवं संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से बनाए गए नियमों के अनुसार
उच्च न्यायालय का पूर्ण नियंत्रण	अनु. 235	जिला न्यायालयों व अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के पदस्थापन, पदोन्नति, अवकाश व अनुशासन पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय का होता है
जिला एवं सत्र न्यायाधीश का दोहरा पद	संरचना व शक्तियां	दीवानी (Civil) मामलों की सुनवाई करते समय 'जिला न्यायाधीश (District Judge)' तथा आपराधिक (Criminal) मामलों की सुनवाई करते समय 'सत्र न्यायाधीश (Sessions Judge)' कहलाता है; मृत्युदंड दे सकता है परंतु HC से पुष्टि अनिवार्य (CrPC)

11. वैकल्पिक विवाद निवारण: लोक अदालत एवं ग्राम न्यायालय

संस्था / मंच	कानूनी आधार	संरचना, क्षेत्राधिकार, कार्यप्रणाली एवं प्रभाव
लोक अदालत (Lok Adalat)	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (NALSA Act)	गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित; संरचना: सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी + वकील + सामाजिक कार्यकर्ता; क्षेत्राधिकार: सभी दीवानी मामले, पारिवारिक विवाद व समझौते योग्य (Compoundable) आपराधिक मामले; कोई कोर्ट फीस नहीं; दोनों पक्षों की सहमति से समझौता; इसका निर्णय दीवानी अदालत की डिक्री माना जाता है; इसके फैसले के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती
ग्राम न्यायालय (Gram Nyayalaya)	ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 (2 अक्टूबर 2009 से लागू)	मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर त्वरित न्याय; न्यायाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा HC के परामर्श से (प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समकक्ष); मोबाइल कोर्ट (Mobile Court – गांवों में जाकर सुनवाई); दीवानी व छोटे फौजदारी मामले; प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य (साक्ष्य अधिनियम 1872 के कठोर नियमों से छूट)

12. ई-कोर्ट्स परियोजना, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एवं न्यायिक नवाचार

नवाचार / परियोजना	उद्देश्य, तकनीकी ढांचा एवं विधिक उपयोगिता
ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट (e-Courts)	न्यायिक प्रणाली का पूर्ण डिजिटलीकरण; राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG – लंबित मुकदमों की रियल-टाइम ट्रैकिंग); चरण–3 (2023–2027) हेतु ₹7,210 करोड़ स्वीकृत — पेपरलेस अदालतें, ई-फाइलिंग व वर्चुअल कोर्ट्स
फास्टर प्रणाली (FASTER)	सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशों, स्थगनादेशों व जमानत आदेशों को जेलों व संबंधित अधिकारियों तक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से त्वरित प्रेषण (जमानत के बाद रिहाई में देरी रोकने हेतु)
सुवास एवं सुपेस (SUVAS & SUPACE)	सुवास (SUVAS): न्यायिक आदेशों का हिंदी सहित 10 क्षेत्रीय भाषाओं में AI अनुवाद सॉफ्टवेयर; सुपेस (SUPACE): न्यायाधीशों के शोध कार्य में सहायता हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पोर्टल
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)	अनुच्छेद 39A (समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता) के तहत 1995 में स्थापित; समाज के निर्धन, महिलाओं व वंचित वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता; मुख्य संरक्षक: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)

13. न्यायपालिका के प्रमुख अनुच्छेदों का त्वरित संदर्भ चार्ट (Quick Reference)

अनुच्छेद	संवैधानिक विषय	अनुच्छेद	संवैधानिक विषय
अनु. 124	सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना व गठन	अनु. 143	राष्ट्रपति की SC से परामर्श शक्ति
अनु. 129	अभिलेख न्यायालय (Court of Record)	अनु. 214	राज्यों हेतु उच्च न्यायालय (HC)
अनु. 131	सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार	अनु. 217	उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनु. 136	विशेष अनुमति याचिका (SLP)	अनु. 226	उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता
अनु. 137	निर्णयों का पुनरावलोकन (Review)	अनु. 227	उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति
अनु. 141	SC की विधि सभी अदालतों पर बाध्यकारी	अनु. 233	जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

14. न्यायपालिका तुलनात्मक मास्टर मैट्रिक्स (Quick Master Matrix)

संवैधानिक पद	अनुच्छेद	नियुक्ति प्राधिकारी	शपथ	सेवानिवृत्ति	पदमुक्ति का आधार
SC न्यायाधीश	अनु. 124	राष्ट्रपति (कॉलेजियम 1+4)	राष्ट्रपति	65 वर्ष	संसद विशेष बहुमत (साबित कदाचार/असमर्थता)
HC न्यायाधीश	अनु. 217	राष्ट्रपति (कॉलेजियम 1+2)	राज्यपाल	62 वर्ष	संसद विशेष बहुमत (SC जज के समान प्रक्रिया)
जिला न्यायाधीश	अनु. 233	राज्यपाल (HC परामर्श)	नियमानुसार	60 वर्ष	उच्च न्यायालय व राज्य सेवा नियमावली

> न्यायिक स्वतंत्रता बनाम लोकतांत्रिक संतुलन: संविधान ने न्यायपालिका को कार्यपालिका व विधायिका के राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखकर 'विधि का शासन' और नागरिकों के 'मूल अधिकारों' का रक्षक बनाया है। कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता, जजों की रिक्तियां और मुकदमों का अंबार वर्तमान विधिक प्रणाली के मुख्य विचारणीय बिंदु हैं।